भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1470

उत्तर दिनांक - 31/07/2024 को दिया गया

परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में निजी निवेश

1470. श्री एंटो एन्टोनी
श्री के. राधाकृष्णन
श्री सुखदेव भगत

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मांगे गए 26 बिलियन अमरीकी डॉलर के निजी निवेश की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन निवेशों को सुविधाजनक बनाने के लिए विनियामक और नीतिगत परिवर्तनों सहित परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए किए जा रहे विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में निजी निवेश बढ़ाने से जुड़ी सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को किस प्रकार दूर करने की योजना है; और

(घ) क्या सरकार ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र की इतनी महत्वपूर्ण भागीदारी से अपेक्षित आर्थिक और ऊर्जा संबंधी सुरक्षा जोखिमों का अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) विभाग में ऐसे किसी निवेश की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) भारत सरकार मौजूदा वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं में निजी भागीदारी की व्यवहार्यता की खोज कर रही है।

(ग) नाभिकीय ऊर्जा के सभी पहलुओं अर्थात् स्थल-चयन, अभिकल्प, निर्माण, कमीशनन एवं प्रचालन में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का अभिकल्प अतिरिक्तता तथा विविधता के संरक्षा सिद्धांतों को अपनाते हुए किया जाता है और गहन संरक्षा सिद्धांत का अनुसरण करते हुए विफल-संरक्षित (फेल-सेफ) अभिकल्प विशेषताएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि रेडियोसक्रियता स्रोत और पर्यावरण के बीच कई अवरोध हैं। ये संरक्षा सिद्धांत निजी निवेश से स्वतंत्र हैं।

(घ) नहीं।

*****